

352

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक

788

04/नि./पणन (यो.) - 24/12

/पटना, दिनांक

25-02-13

प्रेषक,

बलराम सिंह,
अपर सचिव-सह-अपर निबंधक (मु.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स.स.,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक,
सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.।

विषय :- कृषि रोड मैप (2012-17) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए गोदाम निर्माण तथा
गैसीफायर-सह-चावल मिल की स्थापना के लिए उपलब्ध कराये गये राशि के उपयोग के
सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर विभाग के पत्रांक 3876 दिनांक 05.09.12 एवं निबंधक, सहयोग समितियों
बिहार, पटना के पत्रांक 5921 दिनांक 14.11.12 का निदेश किया जाय। उक्त पत्रों में निर्माण कार्य एवं
संयंत्र क्रय के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत है। विभागीय पत्रांक 3876 दिनांक 05.09.12 में यह निर्देश
है कि प्रथम किश्त की राशि व्यय होने के बाद द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु निर्माणाधीन गोदाम/चावल
मिल/गैसीफायर का उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफी सहित एवं मापी पुस्तिका में की गई अरहान
प्रविष्टियाँ के साथ देना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार, निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 5921 दिनांक
14.11.12 में यह निर्देश है कि प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी यह
सुनिश्चित करेंगे कि समिति द्वारा राशि की निकासी निर्माण कार्य के अनुरूप किया जा रहा है। किसी भी
परिस्थिति में समिति द्वारा सम्पूर्ण राशि की निकासी एक बार में नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य की प्रगति
एवं उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक फोटो प्रमाणक के साथ समिति से प्राप्त
निबंधक, सहयोग समितियाँ को प्रेषित किए जाने की जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि चावल
तथा गैसीफायर के क्रय में समिति द्वारा पूर्णरूपेण पारदर्शिता बरती जाय।

दिनांक 12.02.13 को योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग
समितियाँ, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), जहानाबाद, कैमूर (भभूआ) एवं सीतागढ़ी द्वारा यह जानकारी दी गई
कि उनके जिलों में समितियों द्वारा गोदाम निर्माण/गैसीफायर-सह-चावल की स्थापना हेतु आवंटित पूरे
राशि की निकासी कर ली गई है, जबकि निकासी की गई राशि के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। इन
जिलों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अलग से किया जा रहा है।

समीक्षा के क्रम में प्रकाश में लाए गए दृष्टान्तों के आलोक में गोदाम निर्माण एवं
गैसीफायर-सह-चावल मिल की स्थापना हेतु राशि की निकासी के संबंध में पूर्व निर्गत अनुदेशों के क्रम में
पुनः निर्देश दिया जाता है कि निम्न निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय -

35

(708)

(1) राशि की निकासी से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति के पास निर्माण कार्य हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध है तथा तत्संबंधी प्रमाणक जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।

(2) निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा अभियंता की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

(3) निर्माण कार्य हेतु समिति द्वारा कार्य सम्पादन के आधार पर निम्नरूपेण जिला सहकारिता पदाधिकारी की सहमति से चार किशतों में राशि की निकासी किया जा सकेगा :-

(क) निर्माण कार्य हेतु ले-आउट होने के पश्चात् प्रतिनियुक्त अभियंता की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत राशि का अधिकतम 30% राशि।

(ख) प्लॉथ तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर द्वितीय किशत के रूप में अधिकतम 30% राशि।

(ग) छत तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर तृतीय किशत के रूप में अधिकतम 30% राशि।

(घ) शेष 10% राशि निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटो प्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर चतुर्थ किशत के रूप में Finishing के लिए।

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति द्वारा क्रय किये गये सामग्री का भुगतान चेक के द्वारा ही आपूर्तिकर्ता को किया जाय तथा Labour Payment के लिए ही आवश्यक राशि की निकासी नकद की जाय।

(5) जिला सहकारिता पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिका (3) के आलोक में राशि की निकासी से सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निबंधक, सहयोग समितियाँ को आवश्यक फोटो प्रमाणक के साथ समर्पित करेंगे।

(6) प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सम्बन्धित शाखा से समितियों को उपर्युक्त कंडिका (3) के आलोक में भुगतान किया जा रहा है।

(7) गैसीफायर संयंत्र ब्रेडा द्वारा अनुशंसित कंपनी तथा चावल मिल का क्रय मान्यता प्राप्त एंजेंसी/प्रतिष्ठानों से कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर समिति द्वारा किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठान के साथ वार्षिक रख-रखाव हेतु भी एकरारनामा सम्पादित कराने की कार्यवाई किया जाएगा।

(8) समिति को उपलब्ध कराए गए चक्रीय पूँजी से सम्बन्धित अभिलेख समिति/जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्तर पर संधारित किया जाएगा।

(9) योजनाओं का नियमित निरीक्षण जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जाएगा तथा प्रगति से आवश्यक

फोटो प्रमाणक के साथ जिला पदाधिकारी एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा।

(10) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या 592/दिनांक 14.11.12 के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा प्रति माह प्रगति की समीक्षा की जाए एवं प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित किया जाए।

समिति को राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा एक वर्ष के अन्दर निश्चित रूप से योजना पूर्ण कराने की कार्यवाई की जाय।

विश्वनाथ भाजन
(बलराम सिंह)

अपर सचिव-सह-अपर निबंधक (मु.)
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 788 / पटना, दिनांक 25-02-13
प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-अपर निबंधक (मु.)
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 788 / पटना, दिनांक 25-02-13
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारिता बैंक, अशोक राजमार्ग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-अपर निबंधक (मु.)
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।